Sl.No 1(E)

सं./No. 1/7/2011 – VS (CRS)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-I, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
तार: जनगणना / REGGENLIND Tele-fax: 26100678 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated – 21-12-2012

CIRCULAR

Sub: Issue of extract to the informant under Section 12 of the Registration of Birth and Death Act (RBD), 1969.

IndiaCode

You are aware that Section 12 of the RBD Act 1969 and the corresponding Rules framed thereunder stipulates the Registrar to give free of charge an extract of the prescribed particulars from the register of births and deaths to the informant under section 8 or 9 of the Act as soon as the registration has been completed. Further, rule 8 (5) framed under this section, allows the Registrar to send the extract to the informant by post if the same has not been collected.

2. Despite the above provisions, it has been noticed that extract of births and deaths are neither being delivered to the informant nor being sent through post by the Registrars. Although, necessary instructions in this regard have been issued, the same are not abide by the Registrar and the extracts are lying with the Registrars.

3. In this connection, your attention is also invited to the recommendation no. 5.1 and 4 of National Conference of Chief Registrar of Births and Deaths of 2007 and 2009 respectively, wherein certain corrective measures were suggested for improving the delivery of extract/ certificate to the concerned. In this regard, you are therefore requested to direct the concerned Registrars to ensure the delivery of extract of birth or death to the informant immediately after registration. The following directions may be issued to the concerned registration authority:

i. Registrar may be asked to register the event immediately after receiving the information under section 8 or 9 of the Act and deliver the extract to

the informant on the same day. If the said information is reported through the notifiers e.g. Aanganwadi Workers, ASHA's, ANM's or others, it should be ensured to deliver the extract/certificate to the concerned household through them.

ii. Recently, registration centers are opened in big hospitals and other PHC's/CHC's centers in most of the States/ UTs. In such cases, it will be the duty of the Registrar of birth and death of that center to deliver the extract / certificate to the mother of the new born child before her discharge from the medical institution, in case of Institutional deliveries. Whereas, in case of death, the Registrar of birth and death should ensure to deliver the extract/certificate of death before hand over the dead body to the relatives.

iii. However, in case of such institutions, where registration center does not exists like private hospitals, Nursing homes etc. the person authorized to send the report of birth and death to the concern Registrar should also obtain a self addressed stamped envelope at the time of filling up the reporting form from the informant and forward it to the concerned Registrar along with the reporting form for registration. The Registrar, after registering the event of birth or death may utilize the self addressed stamped envelope for dispatch of the extract/certificate to the household concerned.

IndiaCode

You are therefore requested to issue the above necessary directions to the concerned registration functionaries for strict compliance. A copy of the direction issued in this regard may also be sent to this office.

(P. A. Mini)
Deputy Registrar General (CRS)

To,
The Chief Registrar / Addl. Chief Registrar of Births and Deaths,
All States / Union Territories

हिंदी रूपांतर

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
वी.एस.डिवीजन, पश्चिमी खण्ड-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
टेली/फैक्स नं./*Tele-fax.No.26104012* E-mail – *drg-crs.rgi@censusindia.gov.in*

सं. 1/7/2011-जीवनांक (सीआरएस) दिनांक 21.2.2013

परिपत्र

विषय : जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 की धारा 12 के अंतर्गत सूचना देने वाले को सार जारी करना ।

आप जानते हैं कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण का कार्य पूरा होते ही रजिस्ट्रार इस अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले को जन्म और मृत्यु के रजिस्टर से निर्धारित विवरणों का सार नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराएगा । इसके अतिरिक्त, इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियम 8 (5), रजिस्ट्रार को इस बात की अनुमति देता है कि यदि सार सूचना देने वाले द्वारा प्राप्त न किया गया हो तो इसे डाक द्वारा भेज दिया जाए ।

2. उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद यह बात नोट की गई कि रजिस्ट्रारों द्वारा सूचना देने वाले को जन्म और मृत्यु का सार न तो दिया जा रहा है और न ही इसे डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है । हालांकि इस संबंध में आवश्यक निदेश जारी किए जा चुके हैं फिर भी रजिस्ट्रारों द्वारा इनका पालन नहीं किया जा रहा है तथा सार रजिस्ट्रारों के पास ही पड़े रहते हैं ।

3. इस संबंध में आपका ध्यान जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2007 तथा 2009 की सिफारिश सं. क्रमश: 5.1 और 4 की ओर भी आकर्षित किया जाता है जिसमें कि संबंधित व्यक्ति को सार/प्रमाणपत्र देने की स्थिति में सुधार के लिए कुछ विशेष सुधारात्मक उपाय सुझाए गए थे । अत: इस संबंध में आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप संबंधित रजिस्ट्रारों को रजिस्ट्रीकरण के ठीक बाद सूचना देने वाले को जन्म अथवा मृत्यु का सार देना सुनिश्चित करने का निदेश दें । संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाएं:

i. रजिस्ट्रारों से इस अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त होने के तत्काल बाद घटना का रजिस्ट्रीकरण करने तथा सूचना देने वाले को उसी दिन सार देने को

कहा जाए । यदि उक्त जानकारी की सूचना अधिसूचित करने वालों अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं,(AWWs) आशा,(ASHAs) एएनएम (ANMs) अथवा अन्य के माध्यम से मिलती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित परिवारों को उन्हीं के माध्यम से सार/प्रमाणपत्र दिए जाएं ।

ii. हाल ही में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़े अस्पतालों तथा अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रजिस्ट्रीकरण केन्द्र खोले गए हैं । ऐसे मामलों में संस्थागत प्रसवों की स्थिति में नवजात शिशु की माता को, चिकित्सा संस्था से छुट्टी दिए जाने के पूर्व सार/प्रमाणपत्र देने का उत्तरदायित्व उस केन्द्र के रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु का होगा। जबकि मृत्यु के मामले में रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा संबंधियों को शव सौंपने से पहले सार/प्रमाणपत्र देना सुनिश्चित करना चाहिए ।

iii. तथापि, ऐसी संस्थाओं, जहां रजिस्ट्रीकरण केन्द्र नहीं हैं जैसे कि निजी अस्पताल, नर्सिंग होम इत्यादि, ऐसे मामले में संबंधित रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचना देने वाले से सूचना प्रपत्र भरवाते समय एक अपना पता लिखा हुआ तथा डाक टिकट लगा लिफाफा भी ले लेना चाहिए और रजिस्ट्रीकरण के लिए सूचना प्रपत्र संबंधित रजिस्ट्रार के पास भेजते समय इसे भी भेज देना चाहिए । जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात् रजिस्ट्रार संबंधित परिवार को यह सार/प्रमाणपत्र भेजने के लिए उनका पता लिखा एवं डाक टिकट लगा लिफाफे का प्रयोग कर सकता है ।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त आवश्यक निर्देशों को संबंधित रजिस्ट्रीकरण कार्यकर्ताओं को कड़ाई से अनुपालन के लिए जारी करें । इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजें ।

पी.ए.मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार/अपर मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।

IndiaCode

SP-110/(D)

(1)

सं./No. 1/7/2011 – VS (CRS)
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Tele-fax: 26104012 E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

Dated: 21-12-2012

CIRCULAR

Sub: Penalties under Section 23 of the Registration of Births and Deaths (RBD) Act 1969.

IndiaCode

You are aware that procedure of imposing Penalties on Institutions, Registrar / Sub-Registrars, Medical practitioners and on the individuals are prescribed under Section 23(1) to 23(5) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969. The provision of Section 23 is reproduced below: -

Section 23 — (1) any person who—

(a) fails without reasonable cause to give any information which it is his duty to give under any of the provisions of sections 8 and 9; or

(b) gives or causes to be given, for the purpose of being inserted in any register of births and deaths, any information which he knows or believes to be false regarding any of the particulars required to be known and registered; or

(c) refuses to write his name, description and place of abode or to put his thumb mark in the register as required by section 11, shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(2) Any Registrar or Sub-Registrar who neglects or refuses, without reasonable cause, to register any birth or death occurring in his jurisdiction or to submit any returns as required by sub-section (1) of section 19 shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(3) Any medical practitioner who neglects or refuses to issue a certificate under sub-section (3) of section 10 and any person who neglects or refuses to deliver such certificate shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(4) Any person who, without reasonable cause, contravenes any provision of this Act for the contravention of which no penalty is provided for in this section shall be punishable with fine which may extend to ten rupees.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), an offence under this section shall be tried summarily by a Magistrate.

Although the above provisions exists in the Act but it has been observed that most of the States/UTs do not impose any penalties on defaulting Institutions, Medical Practitioners or any individuals. Even the Penalties are not imposed on any Registrar or sub Registrar who neglects or refuses to register the events occurring in her/his jurisdiction or delay or fail in submitting the monthly returns as required under Section 19(1) of the Act and corresponding rules14 (1) & (2) framed thereunder . As per the Annual Reports submitted by the State Governments, the State of Rajasthan, Kerala, Punjab and Maharashtra are imposing such penalties effectively. The other states are not implementing the provision of this section and not imposed any penalties even on the defaulting Institutions.

In view of the above, you are requested to issue necessary directions to all District Authorities to take steps for effective implementation of the provision of Section 23 & 24 of the RBD Act and the corresponding rule 16 framed thereunder. It is also requested to lay emphasis on the details on imposing such penalties in the Annual Report on working of the RBD Act and to ensure the timely submission of reports by the Registrar. A copy of the direction issued in this regard to the concerned authorities may also be sent to this office.

(P. A. Mini)
Deputy Registrar General, (CRS)

To

All the Chief Registrar / Addl. / Deputy Chief Registrar of Births and Deaths

हिंदी रूपांतर

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
वी.एस.डिवीजन, पश्चिमी खण्ड-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
V.S. Division, West Block –I, R.K. Puram, New Delhi – 110066

टेली/फैक्स नं./*Tele-fax.No.26104012* E-mail – *drg-crs.rgi@censusindia.gov.in*

सं. 1/7/2011-जीवनांक (सीआरएस) दिनांक 21.2.2013

परिपत्र

विषय : जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 की धारा 23 के अंतर्गत शास्तियां ।

आप जानते हैं कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23(1) से लेकर 23(5) तक के अंतर्गत संस्थाओं, रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रारों, चिकित्सा व्यवसायिकों तथा व्यक्तियों पर शास्तियां लगाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है । धारा 23 के प्रावधान को नीचे उद्धृत किया जाता हे:-

23 शास्तियां - (1) कोई व्यक्ति जो -

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधों के अधीन ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिख जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(3) कोई चिकित्सा व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण पत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में कसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वह जुर्माने से, जो दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा ।

हालांकि इस अधिनियम में उपर्युक्त प्रावधान विद्यमान हैं फिर भी यह देखा गया है कि अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसका उल्लंघन करने वाली संस्थाओं, चिकित्सा व्यवसायिकों अथवा किन्हीं व्यक्तियों पर कोई शास्तियां नहीं लगाते हैं । यहां तक कि ऐसे किसी भी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्टारों पर भी कोई शास्तियां नहीं लगाई जाती हैं जोकि इस अधिनियम की धारा 19 (1) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए संगत नियमों 14 (1) और (2) के तहत यथा अपेक्षित अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण करने की अनदेखी करते हैं अथवा मना करते हैं अथवा मासिक विवरणियों के प्रस्तुत करने में विलम्ब करते हैं या असफल रहते हैं । राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान, केरल, पंजाब और महाराष्ट्र राज्य प्रभावशाली ढंग से ऐसी शास्तियां लगा रहे हैं । अन्य राज्य इस खण्ड के प्रावधानों को कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं तथा उन्होंने ऐसी चूक करने वाली संस्थाओं पर भी कोई शास्तियां नहीं लगाई हैं ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 23 और 24 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए संगत नियम 16 के प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी जिला प्राधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है । यह भी अनुरोध किया जाता है कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की कार्यप्रणाली संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी शास्तियां लगाने संबंधी विवरणों तथा रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए । इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को जारी किए गए निदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजी जाए ।

पी. ए. मिनी

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु ।